


कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय द्वारा जिन कार्मिकों को वित्तीय उन्नतिकरण आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्कीम पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के तहत दिनांक 01.01.2016 के बाद से एसीपी पर देय ग्रेड पे स्वीकृत की गई थी। यदि उन कार्मिकों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 में उनको देय एसीपी की प्रभावी दिनांक से पूर्व का विकल्प प्रस्तुत कर वेतन स्थिरीकरण करवा लिया गया है, तो उन कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण उनको स्वीकृत की गई एसीपी की दिनांक को ग्रेड पे के स्थान पर पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के तहत पे-मैट्रिक्स के जिस लेवल में उनका वेतन स्थिरीकरण किया गया है, उससे अगले लेवल में वित्त विभाग के नोटिफिकेशन संख्या - **F(5)(1)FDRules/2017** दिनांक **30-10-2017** में शिड्यूल 6 के नियम 14 व 15 के अनुसार संस्था प्रधान द्वारा अपने कार्यालय स्तर पर ही किया जावे।


पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 में एसीपी स्थिरीकरण पर दिनांक **01-01-2016** से दिनांक **31-12-2016** तक एरियर राशि देय नहीं होगी।


उप निदेशक(माध्यमिक) शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर
दिनांक:- 29-06-2018

क्रमांक-शिउनि/मा/जय/संस्था-5/फा-501/ 13 /2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
02. उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
03. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जयपुर/दौसा/अलवर - प्रथम/द्वितीय को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधिनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों से पालना कराना सुनिश्चित करावें।
04. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान को अपने स्तर पर ही वेतन स्थिरीकरण करने हेतु।
05. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com


उप निदेशक(माध्यमिक) शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर